परिपत्र संख्या-डीजी- 67/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 9 ,2013

प्रिय महोदय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-101 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदों में घटित जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को विशेष अपराध की श्रेणी में रखकर विशेष अपराध आख्या पत्रावली खोलकर जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर विवेचनात्मक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था निर्धारित है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय से अ0शा0 पत्र संख्या:डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांकित 04.03.2013 द्वारा आदेश भी निर्गत किये गये है।

वर्तमान में विशेष अपराध आख्या पत्रावली पर पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण क्रमागत आख्या के रूप में लिखा जाता है तथा विवेचना में की गयी कार्यवाही का विवरण **एक नजर में (At a glance)** देखने के लिए **"फार्म-ए"** विशेष अपराध आख्या पत्रावली के बांये पृष्ठ पर चस्पा किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा किये जाने से पाया गया कि **"फार्म-ए"** में एकरूपता नहीं है। **"फार्म-ए"** का प्रारूप जनपदों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में तैयार कर प्रयोग में लाया जा रहा है जिसमें मात्र अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख कर पर्यवेक्षण किया जा रहा है। विवेचना के मध्य विवेचक द्वारा प्रयोग किये गये वैज्ञानिक तरीकों आदि को देखे जाने की व्यवस्था नहीं है।

अ0शा0 परिपत्र संख्या:-4 दि0 29.01.2012
अ0शा0 परिपत्र संख्या:-46 दि0 11.10.2012
अ0शा0 परिपत्र संख्या:-3 दि0 17.01.2013
अ0शा0 परिपत्र संख्या:-27 दि0 03.06.2013
अ0शा0 परिपत्र संख्या:-46 दि0 17.08.2013

विवेचनाओं में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु पार्श्वांकित परिपत्र समय-समय मुख्यालय द्वारा निर्गत कर अन्वेषण कार्य में पुलिस को वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाये जाने के आदेश दिये गये है।

विशेष अपराध आख्या पत्रावली के बांये पृष्ठ पर चस्पा किये जाने वाले "नवीन फार्म-ए" को मुख्यालय स्तर पर तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही, उनसे हुई बरामदगी, फोटोग्राफ आदि **(नवीन फार्म-ए भाग-1)** के साथ-साथ विवेचक द्वारा विवेचना में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधियों का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु **" फॉरेंसिक विवरण"(नवीन फार्म-ए भाग-2)** व **"गवाहों का विवरण"(नवीन फार्म-ए भाग-3)** उनके द्वारा दिये गये बयानों से प्रमाणित हुए आरोपों को **"एक नजर में"** देखे जाने की व्यवस्था है। नवीन फार्म-ए के भाग 1 व 2 को विशेष अपराध आख्या पत्रावली के कवर पेज के अन्दर बायें पृष्ठ (Front inner cover) पर तथा नवीन फार्म-ए के भाग 3 को पत्रावली के कवर पेज के अन्दर दायें पृष्ठ (Back inner cover) पर चस्पा कराकर अद्यावधिक रखे जाने से पत्रावली पर की गयी कार्यवाही को एक नजर में देखकर सुगमतापूर्वक प्रत्येक स्तर पर

पर्यवेक्षित किया जा सकता है। पूर्व में विकसित **H.C.M.S. साफ्टवेयर** में कालम के अनुसार सूचनाओं को फीड किये जाने में भी सुगमता रहेगी और सभी स्तरों पर एकरूपता भी निर्धारित हो जायेगी।

अपेक्षा की जाती है कि कृपया पूर्व से चस्पा किये जा रहे फार्म-ए के स्थान पर संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे **"नवीन फार्म-ए" भाग-1 , 2 व 3 "संलग्नक-1"** एवं **तत्सम्बन्धी व्यवस्था "संलग्नक-2"** के अनुसार **प्रचलित विशेष अपराध आख्या पत्रावलियों** के बांये एवं दायें पृष्ठ पर चस्पा कराकर अद्यावधिक रखे जाने हेतु कार्यवाही करायें। इस कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु पर्यवेक्षण अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित कर दी जाय। कृत कार्यवाही विषयक अनुपालन आख्या जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से दिनांक 30.12.2013 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः नवीन फार्म-ए(~~चार~~ वर्क)

(भवदीय)

9-12-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक-प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

नवीन फार्म-ए

अभियोग/अभियुक्तों का विवरण-भाग-1

क0 सं0	नाम, पता	नामजद/प्रकाश (दिनांक सहित)		वर्तमान स्थिति (विवेचनाधीन, गलत, अभियुक्त)	कार्यवाही की वर्तमान स्थिति (दि0सहित)							आला कत्ल		माल बरामदगी		विवेचना की वर्तमान स्थिति (सी0एस0/एफ0आर0 न0 व दिनांक	अभियुक्त का फोटो पत्रावली पर संलग्न करें (संलग्न है, नहीं है तो क्यों)
		नामजद	प्रकाश में		41 द0प्र0स0	गिरफ्तार	हा0अ0	82 द0प्र0स0	83 द0प्र0स0	मृत्यु	गिरफ्तारी स्टे	प्रयोग	बरामदगी	बरामदगी	विवरण		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

फारेंसिक विवरण -भाग-2

क0 सं0	सेंपल (सेम्पल का नाम, मद नं0)	एफ0एस0एल0 भेजनें का दिनांक	क्या प्रमाणित करेगा (जैसे वीर्य का धब्बा, बरामद शस्त्र से फायर, मृतक के रक्त का मिलान आदि)	परिणाम की तिथि (परीक्षण रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि)	परिणाम (परीक्षण से क्या परिणाम आया)
1	2	3	4	5	6
2					
3					
4					
5					

नोट-उक्त प्रारूप को एस0आर0 पत्रावली के कवरपेज के अन्दर बायें पृष्ठ पर चस्पा करना हैं।

नवीन फार्म–ए गवाहों का विवरण–भाग–3

क्र0 स0	गवाहों का नाम, पिता का नाम, पता	161दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत दर्ज बयान की तिथि	164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत दर्ज बयान की तिथि	साक्षी द्वारा दिया गया बयान (संक्षेप में)
1	2	3	4	5
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोट–उक्त प्रारूप को एस0आर0 पत्रावली के कवरपेज के अदर दायें पृष्ठ पर चस्पा करना है।

नवीन फार्म-ए के भाग-1 में सूचनाओं के अंकन की व्यवस्था

1. **कालम न0 5:-** मात्र व्यक्ति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हो जाने से उसे अभियुक्त नही माना जाना चाहिए, जबतक साक्ष्य संकलन से यह स्पष्ट न हो जाये कि वह व्यक्ति वास्तविक अभियुक्त है। कालम 5 को निम्न प्रकार से भरा जाए :-
   - व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित होने की स्थिति में 'P.I.' (विवेचनाधीन) लिखा जाए। 'P.I.' पेंसिल से लिखा जाए ताकि साक्ष्य संकलन के बाद उसे सही या गलत पाने की स्थिति में इसको बदला जा सके।
   - यदि विवेचना से सिद्ध हो जाता है कि व्यक्ति की नामजदगी सही है तो इस कालम में लाल रंग से 'A'(Accused/अभियुक्त) लिखा जायेगा।
   - यदि व्यक्ति की नामजदगी गलत है तो उस व्यक्ति के नाम के सम्मुख नीले रंग से 'F'(False/गलत) लिखा जायेगा।

2. **कालम नं0 13:-**
   - यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार अथवा विवेचना से आये तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त के द्वारा शस्त्र प्रयोग किया गया है तो उस अभियुक्त के नाम के आगे 'Y' (Yes/हाँ) लिखा जाये।
   - यदि अभियुक्त द्वारा शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है तो उस अभियुक्त के नाम के सम्मुख 'N' (No/नहीं) लिखा जाये।

3. **कालम नं0 14:-**
   - यदि घटना में अभियुक्त द्वारा शस्त्र प्रयोग किया गया है, और वह बरामद हो जाता है तो उस अभियुक्त के नाम के सम्मुख शस्त्र का विवरण व दिनांक अंकित किया जाये। यथा- रिवाल्वर-.32"बोर
     दिनांक---------
   - यदि व्यक्ति के द्वारा शस्त्र का प्रयोग किया गया है परन्तु बरामद नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति के सम्मुख स्थान को खाली रखा जायेगा।
   - यदि व्यक्ति द्वारा शस्त्र प्रयोग नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति के नाम के सम्मुख N/A(Not applicable) अंकित किया जाये।

4. **कालम नं0 15:-**
   - यदि प्रथम सूचना रीपोर्ट (FIR) के अनुसार अथवा विवेचना से आये तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त के द्वारा सम्पत्ति/धनराशि की चोरी, लूट व डकैती आदि की गयी है तो उस अभियुक्त के नाम के आगे 'Y' (Yes/हाँ) लिखा जाये।
   - यदि प्रथम सूचना रीपोर्ट (FIR) के अनुसार अथवा विवेचना से आये तथ्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त के द्वारा सम्पत्ति/धनराशि की चोरी, लूट व डकैती नही की गयी है तो उस अभियुक्त के नाम के सम्मुख 'N' (No/नहीं) लिखा जाये।

5. **कालम नं0 16:-**
   - यदि घटना में चोरी, लूट व डकैती का सामान अभियुक्त के पास से बरामद हो जाता है तो उस अभियुक्त के नाम के सम्मुख बरामदगी का विवरण व दिनांक अंकित किया जाये।
     यथा- आभूषण......ग्राम
     दिनांक--------

- यदि व्यक्ति के द्वारा चोरी, लूट व डकैती की गयी है परन्तु माल बरामद नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति के सम्मुख स्थान को खाली रखा जायेगा।
- यदि व्यक्ति द्वारा चोरी, लूट व डकैती नहीं की गयी है तो उस व्यक्ति के नाम के सम्मुख N/A(Not applicable) अंकित किया जायेगा।

नवीन फार्म-ए के भाग-2 में फारेंसिक विवरण के अंकन की व्यवस्था

प्रारूपानुसार

नवीन फार्म-ए के भाग-3 में गवाहों का विवरण के अंकन की व्यवस्था

1. इस प्रारूप के कालम-2 में उन सभी गवाहों के नाम व पते अंकित किये जायेंगे जिनके बयान के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा।
2. वादी मुकदमा के बयानों का विवरण भी भाग-2 में अंकित किया जाये।
3. प्रारूप के कालम-4 में यदि साक्षी का धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज नही होना है तो (N/A) (आवश्यकता नहीं) अंकित किया जाये।
4. प्रारूप के कालम-5 में "साक्षी के संक्षिप्त बयान" निम्न प्रकार लिखा जाये।
    - चश्मदीद गवाह जो घटना को सत्यापित करता है।
    - परिस्थिति जनक साक्ष्य : यहां संक्षेप में उसका विवरण अंकित करें जैसे : गवाह ने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखा था/अथवा गवाह ने अभियुक्त को लूट के सामान के साथ देखा था।
    - भौतिक साक्ष्य या प्रर्दश जैसे खूनालूद मिट्टी, कपड़ा, शस्त्र इत्यादि को पुलिस कब्जे में लिये जाने से सम्बन्धित गवाह।
    - माल बरामदगी के गवाह
    - आलाकत्ल के बरामदगी के गवाह
    - पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान
    - पंचायतनामा के गवाह
    - यदि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विवरण लिखना हो तो इस प्रकार से लिखें ताकि पर्यवेक्षक अधिकारी पढ़कर समझ जाए कि गवाह के बयान क्या हैं, और वह घटना को कैसे प्रमाणित करेगा।